संख्या-10/2016/वे0आ0-2-49/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांकः 25 फरवरी, 2016**

विषय- उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2000/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2400/- अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य ग्रेड वेतन रू0 2000/- के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2400/- अनुमन्य कराये जाने से सम्बन्धित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है :----

(1) उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन रू0 2000/-के स्थान पर ग्रेड वेतन रू0 2400/- अनुमन्य कराये जाने का औचित्य नहीं बनता है। इन पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे ग्रेड वेतन रू0 2000/- को यथावत बनाये रखा जाय।

(2) उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन रक्षक/हेड रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे पौष्टिक आहार भत्ता रू0 750/- प्रतिमाह के स्थान पर इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से रू0 950/- प्रतिमाह पौष्टिक आहार भत्ता अनुमन्य किया जाय।

(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के विधान भवन/रक्षक/हेड रक्षक के पदों पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहा वर्दी धुलाई भत्ता रू0 60/- प्रतिमाह के स्थान पर इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से रू0 150/- प्रतिमाह अनुमन्य किया जाय।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-10/2016/वे0आ0-2- 49(1)/दस-2016-8(मु0स0स0)/2011 टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1

(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।